

C.S. 46/2012

साचीन वर्गे . नं० लालचन्द वर्गे

Sachin

16.07.25 वकील पक्षाकारण उपस्थित  
गया है उपस्थित, वकील वादीगण न  
प्राथम्य पत्र आवृत्ति आदेश 07 नियम  
14 CPC वास्तु दस्तावेजों का रिकॉर्ड  
पर लेन बाबत वक्त किया नकल दिलवाई  
गई शामिल प्रोवासी रहे वकील प्रतिवादी  
से 2/2 न प्राथम्य पत्र आवृत्ति आदेश 18  
नियम 04 एवं आदेश 19 नियम 03  
CPC पेश किया नकल दिलवाई गई शामिल  
प्रोवासी रहे, वकील वादी एवं वकील  
प्रतिवादीगण का निर्देशित किया जाता है कि  
प्रकरण Targetted है प्रोवासी प्राथम्य पत्र एवं  
एक ही आवृत्ति प्रदान किया जाएगा आगामी रोज  
पर ~~आवृत्ति~~ वकील वादी एवं प्रतिवादी को  
आवश्यक रूप से प्रोवासी प्राथम्य पत्र पेश करें,  
प्रोवासी वास्तु प्रोवासी प्राथम्य पत्र एवं  
दिनांक 23.07.25 कार्यशाला।

अपर जिला न्यायाधीश संख्या-01  
किशनगढ़ (अवकाश)